(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4044/पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.11.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 388/2010-11/अपील.

पंकज गुप्ता पुत्र स्व. श्री हरदास गुप्ता
निवासी ग्राम भर्रोली कृषक ग्राम भर्रोली
हाल निवासी रामगढ़ रोड, डबरा, जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. उमेशचन्द पुत्र श्री बैजनाथ
   निवासी ग्राम भर्रोली, तह. व जिला ग्वालियर
2. श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री विश्वेश्वर दयाल
3. श्रीमती रेनू पत्नी श्री राहुल
   निवासीगण गर्ल्स स्कूल के पीछे, डबरा,
   जिला ग्वालियर, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री एन.के. पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 22.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक पंकज गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि बंदोबस्त पूर्व के सर्वे क्रमांक 120 का रकबा 2.257 था, जिसका बंदोबस्त के बाद सर्वे क्र. 227, 230, 232 बनाये गये एवं

रकबा 0172 हैक्टेयर नक्शा में कम कर दिया गया। इसी प्रकार बंदोबस्त के पूर्व सर्वे क्र. 233 का रकबा 0.210 हैक्टेयर जिसका बंदोबस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 118 मिन 1 रकबा 0.209 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 226 रकबा 0.220 हैक्टेयर जिसका बंदोबस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 121 था, जो अनावेदक मिथलेश आदि का था, जिसमें आवेदक का सर्वे क्रमांक 118 मिन 2 रकबा 9 विस्बा नक्शे में व रि-नम्बरिंग के दौरान नहीं दर्शाया गया है। सर्वे क्रमांक 227 एवं 232 का रकबा 17 विस्वा सर्वे क्रमांक 226 एवं 233 में मिला दिया गया है, जो संशोधित किया जावे। कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र. 19/09-10/बी-121 दर्ज कर दिनांक 08.06.2011 को अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संशोधन के आदेश दिये गये। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.11.2016 को आदेश पारित कर अधीनस्थ कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के संपूर्ण रिकॉर्ड आदि का सही अवलोकन व उस पर सही विवेचना नहीं किये जाने से कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने में गंभीर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) आवेदक के द्वारा विधिवत संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर से संयुक्त टीम दल के द्वारा अपना प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष अधीक्षक भू-अभिलेख भू प्रबंधन ग्वालियर के द्वारा भेजा गया, उसके आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत नक्शा दुरूस्ती का आदेश कलेक्टर के द्वारा 08.06.2011 को पारित किया गया, जो उचित आदेश है। अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर के समक्ष कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और ना ही मौके पर जांच के समय कोई आपत्ति प्रस्तुत की और ना ही कलेक्टर के समक्ष इस आशय की कोई आपत्ति प्रस्तुत की, जो रिकॉर्ड से सिद्ध हो, तो फिर अपर आयुक्त द्वारा बिना पर्याप्त कारण दिये कलेक्टर का आदेश पलटने में गंभीर कानूनी भूल की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अपर आयुक्त के न्यायालय में अनावेदक के द्वारा ऐसा कोई कारण उल्लेख नहीं किया कि उनका हित किस प्रकार से प्रभावित हुआ है, तो फिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कलेक्टर का आदेश किस आधार पर निरस्त करने का जो आदेश पारित किया है, वह काबिले खारिजी है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वक्त बहस के दौरान अपने कानूनी तथ्यों को बताया था और कई कानूनी नजीरे प्रस्तुत की थी एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड आिद से भी अवगत कराया था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यों को दृष्टि ओझल करते हुए आवेदक के तथ्यों को आदेश में उल्लेख न कर जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।
अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर, जिला ग्वालियर ने प्रतिवेदन को नजर अंदाज करके आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा जांच की कार्यवाही अनावेदकगण के समक्ष नहीं की गई है और उनके सर्वे नम्बरान का विधिवत सीमांकन भी नहीं किया गया है और न ही उन्हें सुनवाई हेतु आहुत किया गया है। अत: अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक क्र. 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख एवं तहसीलदार से संयुक्त जांच प्रतिवेदन आहूत किया गया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन में बिंदु क्र. 1 में उल्लेख किया गया है कि बंदोबस्त के दौरान पुराने सर्वे क्र. 114, 115, 116, 118/2 कुल रकबा 2.831 हैक्टेयर से बनाये गये नवीन सर्वे क्र. 227, 228, 229, 230, 232 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर का निर्माण स्थल के अनुसार सही पाया गया है तथा प्रतिवेदन के बिंदु क्र. 4 में यह दर्शित किया गया है कि क्षेत्रफल निकाल कर देखा गया जिसमें सर्वे क्र. 232 का क्षेत्रफल 0.15 हैक्टेयर आता है, जो अभिलेख में अंकित क्षेत्रफल 0.20 हैक्टेयर से 0.5 हैक्टेयर कम है। इस प्रकार जांच प्रतिवेदन प्रथम दृष्टया विरोधाभाषी होकर अस्पष्ट है तथा कलेक्टर द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन के आधार पर संशोधन के आदेश दिये गये हैं, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त कर उचित आदेश पारित किया गया है। अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होकर स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर